

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस
पंचायत निगरानी :: 115/2017 ::

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
मदनलाल पुत्र झुमरलाल जाति ब्राह्मण (गिल) निवासी लौटोती हाल निवासी जोधपुर रोड कोर्ट के सामने ग्राम जैतारण, तहसील जैतारण जिला पाली		1. कैलाशचंद्र पुत्र चतुर्भूज जाति ब्राह्मण 2. श्रीमती अयोध्यादेवी पत्नी नथमल जाति ब्राह्मण निवासीगण लौटोती तहसील जैतारण जिला पाली 3. सरपंच ग्राम पंचायत लौटोती पंचायत समिति जैतारण

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित ::

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत उपस्थित

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्दरसिंह उपस्थित

--: निर्णय ::--

दिनांक :- 30.07.2019


यह निगरानी प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 ग्राम पंचायत लौटोती के प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.09.2013 की पालना में जारी पट्टा संख्या 60 दिनांक 15.01.2014 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत लौटोती का रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।


अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस निगरानी में अंकित तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि प्रार्थी मदनलाल के पिता का नाम झूमरलाल तथा उनके पिता का नाम लक्ष्मणजी तथा लक्ष्मणजी के पिता का नाम सालगराम था एवं सालगराम का बेटा मोतीराम, मोतीराम का बेटा श्रीराम तथा इसका बेटा चतुर्भूज है, चतुर्भूज के दो पुत्र कैलाश व नथमल है, नथमल पत्नी अयोध्यादेवी है। हम सभी संयुक्त परिवार से है तथा 7-8 रहवासी मकान पर संयुक्त परिवार की हैसीयत से काबिज है, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का मकान निम्न पड़ोसियान के बीच स्थित है। उत्तर में प्रजापत समाज का भवन, दक्षिण में ढगलाराम ज़ाट का मकान, पूर्व में कैलाशनाथ का मकान व पश्चिम में आम रास्ता व दरवाजा आया हुआ है। निगरानी में उक्त मकान को वादग्रस्त मकान से सम्बोधित किया जायेगा। उक्त वादग्रस्त मकान का पट्टा बनाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा पंचायती राज सामान्य नियम 145 के तहत आवेदन नहीं किया गया। निरीक्षण शुल्क, नक्शा शुल्क व आवेदन शुल्क जमा नहीं कराया। नियम 146 के तहत ग्राम सेवक

जिला कलेक्टर, पाली

ने मौका नक्शा नहीं बनाया तथा तीन वार्ड पंचो को मनोनीत ही नहीं किया। पंचायत द्वारा आपत्ति इशतिहार भी जारी नहीं किया गया, न ही उसकी चस्पानगी कराई गई। प्रार्थी द्वारा लिखित आपत्ति दिनांक 05.01.2013 को पेश की गई तथा रजिस्टर्ड डाक से भी सूचना दी, लेकिन सब की अनदेखी कर बिना साक्ष्य व सबूतों को एकत्र किए धोखाधड़ी पूर्वक पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अधीन 200/- रुपये लेकर विक्रय विलेख जारी कर दिया। जो नियम विरुद्ध जारी किया गया है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर जैर निगरानी विक्रय विलेख संख्या 60 दिनांक 15.01.2014 जो प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.09.2013 की पालना में जारी किया गया, उसे खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के स्वयं पुश्तैनी मकान का जारी किया है, न कि सामलाती मकान का। प्रार्थी सात पीढ़ियों के नाम बताते हुए संयुक्त परिवार बताकर मकान हड़पने की नीयत से पट्टा निरस्त कराना चाहता है, जो न्यायोचित नहीं है, अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा किए गए सभी कथन मनगढ़त है, न तो प्रार्थी व अप्रार्थी का सात पीढ़ियों से संयुक्त परिवार होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। पट्टा प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी द्वारा पंचायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो ग्राम पंचायत लौटोती से प्राप्त मिसल संख्या 33/2012-13 के संलग्न है तथा नियमानुसार 60/- रुपये शुल्क भी अदा किया, जिसका उल्लेख मिसल की ओदशिका दिनांक 15.01.2013 में है। ग्राम पंचायत द्वारा भी नक्शा बनाया गया है, वह भी पत्रावली संलग्न है। जिस पर नक्शा बनाने वालों के एवं सरपंच, ग्राम पंचायत लौटोती के हस्ताक्षर है, तीन वार्ड पंचो की कमेटी का आदेशिका दिनांक 20.01.2013 के द्वारा गठन वास्ते मौका निरीक्षण किया गया, जिन्होंने मौका भी देखा, मौका रिपोर्ट पर सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर है। वार्ड पंचो के हस्ताक्षर नहीं होना अप्रार्थी का दोष नहीं माना जा सकता है। नियमानुसार आपत्ति इशतिहार एक माह का जारी किया गया, जो दिनांक 05.03.2013 को जारी किया गया एवं पृष्ठ भाग पर दो मौतबिरानों के हस्ताक्षर भी करवाये है, पत्रावली में बतौर पुश्तैनी मकान के गवाह अप्रार्थी एक अन्य स्वतंत्र गवाह के बयान भी लिए गए तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 10/- रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र भी लिया गया, जो पत्रावली में मौजूद है, फिर मकान के पुश्तैनी होने के कारण अप्रार्थी के नाम 200/- रुपये राशि जरिए रसीद नं. 26/1353 के वसूल कर पट्टा अन्तर्गत नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया गया, जो न्यायोचित होने से निगरानी खारिज फरमावे। सात पीढ़ी पूर्व की रिश्तोदारी बताकर जो मकान में हक जताने का प्रयास किया जा रहा है। वह न्यायोचित नहीं है, प्रार्थी स्वयं वर्षों से जैतारण में निवासरत है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी तथ्यों से





जिला कलेक्टर, जाली

अनभिज्ञ है। अप्रार्थी की मंशा न्यायोचित नहीं होने से निगरानी खारिज फरमाकर अप्रार्थी के हक में जारी विक्रय विलेख यथावत रख जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पंचायत मिसल, प्रस्ताव रजिस्टर का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.09.2013 को प्रस्ताव संख्या 2 लिया गया, उसमें अप्रार्थी का नाम क.स. 11 पर है। प्रार्थी ने पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया, शुल्क 60/- रुपये जमा कराया, जो आदेशिका दिनांक 15.01.2013 से स्पष्ट है, पंचायत द्वारा तीन वार्डपंचों की कमेटी भी गठित की गई, जिनका नाम पंचायत मिसल की आदेशिका दिनांक 20.01.2013 से उल्लेखित है। आदेशिका दिनांक 05.03.2013 के अनुसार आपत्ति इशितहार जारी किया। यह सभी दस्तावेज पंचायत मिसल में मौजूद है। अप्रार्थी व एक गवाह के बयान लिए गए जो मिसल के संलग्न है तथा अप्रार्थी संख्या 2 ने जो शपथ पत्र 10/- रुपये के स्टाम्प पर दिया, वह भी संलग्न पंचायत मिसल है। प्रार्थी द्वारा सात पीढियों का वर्णन करते हुए, जो संयुक्त परिवार बताया है, वह सही प्रतीत नहीं होता क्योंकि प्रार्थी स्वयं भी जैतारण में रहता है, न ही इस बाबत पंचायत में अथवा इस न्यायालय में साक्ष्य, दस्तावेज या सबूत ही पेश किए गए हैं। प्रार्थी द्वारा आपत्ति करने बाबत प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में पेश किया या रजिस्टर्ड ए.डी. से भेजा, इसका भी कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी जैर निगरानी अप्रार्थी के पुश्तैनी मकान को सामलती सम्पती सिद्ध नहीं कर सके है। प्रार्थी के कथन साक्ष्य विहीन है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी विक्रय विलेख को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में ग्राम पंचायत लौटोती द्वारा जारी पट्टा संख्या 60 दिनांक 15.01.2014, जो पंचायत के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.09.2013 एवं मिसल संख्या 33/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2013 की पालना में जारी किया गया, उसे यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

